झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/कार्य/141/2014 ..../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई॰ शिवा नन्द राय,
संयुक्त सचिव (अभि॰)।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेंत्राधीन गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर प्रखंड के ग्राम हेसला में बड़का बाँध/आहर योजना के जीर्णोद्वार कार्य हेतु रू॰ 94.080 लाख (चौरान्वे लाख आठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2 जल संसाधन विभाग के अधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेंत्राधीन गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर प्रखंड के ग्राम हेसला में बड़का बाँध/आहर योजना के जीर्णोद्वार कार्य हेतु रू॰ 94.080 लाख (चौरान्वे लाख आठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रदान की जाती है।

3 योजना के प्रावधानित कार्य, प्राक्कलित राशि, पुनजीर्वित सिंचन क्षमता, इंसीडेन्स ऑफ कॉस्ट इत्यादि परिशिष्ट–I में अंकित है।

4 इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ दी जाती है –

(i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जायगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री॰ लेवल माप पुस्त में अंकित किया जायगा एवं इसकी शत प्रतिशत जांच सहायक अभियंता के द्वारा तथा पचास प्रतिशत जांच कार्यपालक अभियंता द्वारा करना सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति से प्राप्त नहीं होगा तो उस स्थिति में स्थल पर योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रस्तावित कार्य स्थल का विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त जल की उपलब्धता एवं कमाण्ड क्षेत्र, एवं कार्य की आवश्यकता का आकलन किया जायगा। तदनुसार प्राक्कलन तैयार कर उसकी तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जायगी।

(v) योजनाओं के कार्यान्वियन् के पूर्व मुख्य अभियंता, लघु सिचाई दुमका द्वारा कंडिका '4' (i) (ii) (iii) & (iv) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5 इन योजना के पुनर्स्थापन कार्य से कुल 58 हे॰ (खरीफ 50 हे॰ एवं रब्बी 8 हे॰) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के पुनर्जीवित होगी।

6 इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2014–15 में पूर्ण किया जाना है।

7 इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय बजट "शीर्ष 4702–लघु सिंचाइ पर पूंजीगत परिव्यय–101–सतही जल–20– पुरानी लघु सिंचाई येाजना का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य 05–43" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

8 इस कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

9 इस कार्य के राशि की निकासी गिरिडीह कोषागार से किया जाएगा।

10 इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11 झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

12 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

13 प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

14 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0ः–परिशिष्ट–I

ह0/-
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी/कार्य/141/2014 ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/-
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी/कार्य/141/2014 ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/-
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी/कार्य/141/2014 ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/अधीक्षण अभिंयता, लघु सिंचाई अंचल, देवघर/कार्यपालक अभिंयता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/-
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी/कार्य/141/2014 ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/-
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी/कार्य/141/2014 ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/-
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी/कार्य/141/2014 891/3-14 पू.स्वी. ..../राँची, दिनांक 03.03.2014

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त्।

3/3/14
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि0)
03/03/14

परिशिष्ट–I

गिरिडीह जिलान्तर्गत एक (1) अदद् बाँध/आहर योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्यों की विवरणी।

(राशि लाख रू० में)

क्र०	योजना का नाम	प्रखण्ड	राशि	प्रस्तावित कार्य	सिंचाई क्षमता (हे०)			Incidence of Cost per Ha.	अभि०
					खरीफ	रब्बी	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम हेस्ला में बड़का बाँध का जीर्णोद्वार	बगोदर	94.080	जलाशय की तलसफाई बाँध का सुदृढीकरण एवं दो अदद् Outlet का निर्माण	50	8	58	1.622	
	योगः–		**94.080**		**50**	**8**	**58**		

पत्रांक 89/13-14 प्र.स्थ्रो. दिनांक 03.03.2014

3/3/14

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग

03/03/14